न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 993/2021
जीसीएमएस सं. – 2021/1087

बनाम

—:: प्रार्थीगण ::—
1. ढगलाराम पुत्र लादुराम
2. सुरेश चौधरी पुत्र धोकलराम
जातियान जाट निवासीगण
ग्राम मादलिया तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर।

—:: अप्रार्थीगण ::—
1. कमलादेवी पत्नी पुखराज
2. दिनेश पुत्र पुखराज
3. धमेन्द्र पुत्र पुखराज
4. भूरसिंह पुत्र पुखराज
5. रेखराज पुत्र पुखराज
6. सुभाष पुत्र पुखराज
जातियान माली निवासीगण
मादलिया तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर।
7.भूमिधारी तहसीलदार, पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
दर्ज तारीख :– 23.12.2021

उपस्थित अधिवक्ता :–
1. श्री रामदयाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश कच्छावाह, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक : 25.05.2023

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया व निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम मादलिया के निवासी है तथा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम मादलिया पटवार हल्का मादलिया भू. अभि.नि. बोरून्दा में कृषि भूमि खसरा संख्या 62 रकबा 2.5645 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 62 तक आने–जाने के लिये एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 61 रकबा 1.4481 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ की पूर्वी माठ के सहारे–सहारे चलता हैं जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में आते एवं जाते हैं जिसको सलंग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से मार्क ए,बी,सी,डी में दर्शाया गया हैं। जिस रास्ता को आगे वादपत्र में वादग्रस्त रास्ता के नाम से सम्बोधित किया जाएगा।प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा खेत खसरा संख्या 62 में आने – जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 62 रकबा 2.5645 हैक्टेयर में आने जाने हेतु वादग्रस्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 को वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करवाने को कहा जिस पर अप्रार्थीगण ने साफ तौर पर मना कर दिया तथा दिनांक 13.12.2021 को प्रार्थीगण को मादलिया से कोसाणा जाने वाले कटाणी रास्ता खसरा संख्या 67 से उत्तर की तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुदा जमीन खसरा संख्या 61 में से चल रहे वादग्रस्त रास्ता से प्राथीगण को उनके खेत तक आने–जाने नहीं देंगे जबकि वादग्रस्त रास्ता मादलिया से कोसाणा जाने वाले कटाणी रास्ता खसरा संख्या 67 से

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 61 में से चल रहा वादग्रस्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत में आने–जाने का सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता हैं। इसलिए प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कब्जासुदा जमीन खसरा संख्या 62 में आने–जाने हेतु, वादग्रस्त रास्ता मार्क ए,बी,सी,डी रास्ता घोषित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा हैं। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 62 रकबा 2.5645 हैक्टेयर किस्म बाराणी द्वितीय में कटाणी रास्ता खसरा संख्या 67 जो मादलिया से कोसाणा जाता हैं उक्त कटाणी रास्ते से अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 61 में चल रहे वादग्रस्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत में आने–जाने के लिए सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता हैं। इसके अलावा प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 62 में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं इसलिए प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 62 में आने–जाने हेतु कटाणी रास्ता से अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 61 में से पूर्वी माठ के सहारे 18 फुट चौड़ाई में वादग्रस्त रास्ता मार्क ए,बी,सी,डी रास्ता घोषित फरमावें एवं राजस्व ट्रैस नक्शा में रास्ते को तरमीम किये जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थीगण उक्त अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 61 से निकलने वाले रास्ते को राजस्व रिकार्ड में रास्ता घोषित करवाने के विधिक अधिकारी हैं क्योंकि प्रार्थीगण के पास अपने खेत खसरा संख्या 62 में आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं तथा प्रार्थीगण उक्त घोषित किये जाने वाले रास्ते बाबत अप्रार्थीगण को विधि अनुसार मुआवजा राशि देने हेतु तैयार एवं तत्पर हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 62 रकबा 2.5645 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय में आने–जाने हेतु कटाणी रास्ता से अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 61 में से पूर्वी माठ के सहारे 18 फुट चौड़ाई में वादग्रस्त रास्ता मार्क ए,बी,सी,डी रास्ता घोषित फरमावें एवं राजस्व ट्रैस नक्शा में रास्ता की तरमीम किये जाने का आदेश फरमावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के हक में अता फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से वकील ओमप्रकाश कच्छावाह ने वकालातनामा प्रस्तुत किया। जिनकी ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार का समन बाद तामिल प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि खेत खसरा नम्बर 62 पर आने जाने हेतु सुखाचार का रास्ता मौके पर खसरा नम्बर 66 की पश्चिमी सीमा में स्थित है व खसरा नम्बर 65 की दक्षिणी–पश्चिमी कौने में सुखाचार का रास्ता विद्यमान है। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 62 में आने जाने हेतु पीढीयों से कट्टाणी रास्ता से होकर खसरा नम्बर 66 की पश्चिमी सीमा में स्थित सुखाचार के रास्ते से होकर खसरा नम्बर 65 के दक्षिणी–पश्चिमी कौने में स्थित सुखाचार के रास्ते से होकर अपने खेत खसरा नम्बर 62 में पीढीयों से आते जाते रहे है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 61 के चारों तरफ पत्थरों की पक्की दीवार है अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 61 के पूर्वी सीमा में अप्रार्थीगण की ट्यूबैल खुदी हुई है एवं कमरा बना हुआ है व मवेशियों को बॉधने हेतु बाड़ा बना हुआ है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 61 के पूर्वी सीमा में तथाकथित रास्ता कभी भी विद्यमान नहीं रहा है। प्रार्थीगण ने गलत नक्शा बनाकर गलत मार्क लगाये है। खसरा नम्बर 61 में तथाकथित रास्ता कभी भी विद्यमान नहीं रहा है। खसरा नम्बर 61 के पूर्वी माठ के सहारे सहारे अप्रार्थीगण का पट्टियों का कमरा बना हुआ है व ट्यूबवैल खुदी हुई है व

पूर्वी सीमा पर पत्थरों की दीवार निकाली हुई है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का सुखाचार का रास्ता खसरा नम्बर 66 व 65 में विद्यमान है। जिस रास्ते के फौटोग्राफ्स संलग्न पेश है। खसरा नम्बर 62 में आने जाने हेतु दूसरा रास्ता खसरा नम्बर 60 में स्थित है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 61 में तथाकथित रास्ता विद्यमान नहीं होते हुए भी गलत तरीके से मार्क लगाकर तथाकथित रास्ता बताया है जो सरासर गलत है। खसरा नम्बर 61 के पूर्वी सीमा पर व दक्षिणी सीमा पर पत्थरों की दीवार निकाली हुई है इसलिए तथाकथित रास्ता खसरा नम्बर 61 में विद्यमान होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या तीन में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 62 में आने जाने हेतु सुखाचार का रास्ता पीढीयों से खसरा नम्बर 66 व 65 में विद्यमान है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 62 के दक्षिणी पूर्वी कौने में निकाल पर दरवाजा व पीला (फाटक) लगा रखी है। उक्त निकाल से खसरा नम्बर 65 में से होकर खसरा नम्बर 66 की पश्चिमी सीमा से होता हुआ रास्ता कट्टाणी रास्ते से मिलता है जिससे होकर प्रार्थीगण पीढीयों से अपने खेत में आते जाते रहे है जो संलग्न फौटोग्राफ्स से ही स्पष्ट है। उक्त सुखाचार के रास्ते के अलावा खसरा नम्बर 60 में भी प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का दूसरा रास्ता विद्यमान है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु मौके पर सुखाचार का रास्ता विद्यमान होने से उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार का नहीं होने से खारिज फरमाने योग्य है। सुखाचार के रास्ते की घोषणा सिविल न्यायालय में प्रार्थीगण वाद पेश करके प्राप्त के अधिकारी है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 61 में कभी भी रास्ता विद्यमान नहीं रहा है। खसरा नम्बर 61 के पूर्वी सीमा में अप्रार्थीगण के दीवार निकाली हुई है व दीवार के सहारे ट्यूबवैल खुदी हुई है व पास में कमरा बना हुआ है व कच्चा छपरा भी बना हुआ है। प्रार्थीगण का यह कथन सरासर गलत है कि–" प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 62 रकबा 2.5645 हैक्टेयर में आने जाने हेतु वादग्रस्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।" जबकि वास्तविकता में खसरा नम्बर 62 में तथाकथित रास्ता कभी भी विद्यमान नहीं रहा है खसरा नम्बर 62 के पूर्वी व दक्षिणी सीमा पर पक्की दीवार बनी हुई है व पूर्वी दीवार के सहारे ट्यूबवैल खुदी हुई है व कमरा बना हुआ है व कच्चा छपरा बना हुआ है जहां पर तथाकथित रास्ता विद्यमान होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु मौके पर सुखाचार का रास्ता खसरा नम्बर 66 व 65 में विद्यमान है इसलिए खसरा नम्बर 62 में से नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से मिले ही नही तो मना करने का प्रश्न ही उत्पन्न होता है। दिनांक 13.12.2021 को प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से मिले ही नही तो ऐलानिया धमकी देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। खसरा नम्बर 61 में जब कभी तथाकथित रास्ता विद्यमान ही नहीं रहा है तो आने जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है खसरा नम्बर 61 में कभी भी तथाकथित रास्ता विद्यमान नहीं रहा है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 66 व 65 में सुखाचार का रास्ता विद्यमान है व दूसरा रास्ता खसरा नम्बर 60 में विद्यमान है। इसलिए प्रार्थीगण,अप्रार्थीगण के खेत में से नया रास्ता प्राप्त करने के कतई अधिकारी नही है। इसलिए प्रार्थीगण,अप्रार्थीगण के खेत में से नया रास्ता प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र हर सूरत में काबिल खारिज फरमाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या चार में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। कट्टाणी रास्ता के होकर प्रार्थीगण खसरा नम्बर 66 व 65 की पश्चिमी सीमा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ़ शहर (जोधपुर)

में विद्यमान रास्ते से होकर पीढ़ीयों से अपने खेत में आते जाते रहे है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण का सुखाचार का रास्ता है तथा दूसरा रास्ता खसरा नम्बर 60 में विद्यमान है। मौके पर प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु रास्ता विद्यमान होते हुए भी उक्त असदभाविक प्रार्थना खारिज फरमाने योग्य है। खसरा नम्बर 61 में जब रास्ता ही विद्यमान नहीं है तो विस्तारण व सुलभतम रास्ता होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। खसरा नम्बर 61 के पूर्वी दीवार के सहारे सहारे खसरा नम्बर 66 में सुखाचार का रास्ता मौके पर विद्यमान है जिसमें होकर खसरा नम्बर 65 में से होकर प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 62 में आते जाते रहे है। प्रार्थीगण के पास सुखाचार का रास्ता विद्यमान होने से उक्त प्रार्थना पत्र हर सूरत में खारिज फरमाने योग्य है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 61 में कभी भी तथाकथित रास्ता विद्यमान ही नही रहा है तो उसको घोषित करवाने का प्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार नही है तथाकथित रास्ता के स्थान पर अप्रार्थीगण की दीवार बनी हुई है, ट्यूबवैल खुदी हुई है तथा कमरा बना हुआ है व कच्चा छपरा भी बना हुआ है। खसरा नम्बर 61 के पूर्वी सीमा पर बनी दीवार के सहारे पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 66 में प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु सुखाचार का रास्ता विद्यमान है जो रास्ता खसरा नम्बर 65 में से होता हुआ प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 62 तक पीढीयों से चलता आया है व दूसरा रास्ता खसरा नम्बर 60 में विद्यमान है इसलिए प्रार्थीगण खसरा नम्बर 61 में नया रास्ता प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने आपसी रंजिशवंश उक्त असद्भाविक प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान् न्यायालय हाजा से निवेदन है कि खसरा नम्बर 62 पर आने जाने हेतु सुखाचार का रास्ता खसरा नम्बर 66 व 65 में विद्यमान है व दूसरा रास्ता खसरा नम्बर 60 में विद्यमान होने से उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या बनावटी तथ्यों पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 7 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि खसरा नं. 61 की पूर्वी मेड़ से 12 फीट अन्दर की तरफ कच्ची पत्थर की दिवार मौके पर बनी हुई पाई गई जो संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर खसरा नं. 61 की पूर्वी मेड़ के अन्दर करीबन 15 फीट अन्दर एक पक्का कमरा व ट्यूबवैल खुदी हुई पाई गई। मौके पर खसरा नं. 61 में से 12 फीट जगह छोड़कर कच्ची पत्थर की दिवार बनी हुई है, अर्थात् दिवार के सहारे सहारे मौके पर 12 फीट का रास्ता चालु है एवं वर्तमान में प्रार्थीगण इसी रास्ते से खसरा नं. 62 में आना जाना करते है। नजरी नक्शे में अंकित ए,बी,सी,डी प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 198 फीट व चौड़ाई 12 फीट कुल रकबा 2376 वर्गफीट (0.02274 हैक्टेयर) है जिनकी वर्तमान डिएलसी दर 102456/– प्रति हैक्टेयर है जिसकी दुगुनी राशि 4660/– रूपये बनती है।

हमने बहस वकुलाय सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थीगण ने मुख्य रूप से कथन किया है कि उसके खेत खसरा नम्बर 62 में आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं तथा एकमात्र वैकल्पिक रास्ता अप्रार्थीगण के खेत के खसरा नम्बर 61 के पूर्वी माठ के सहारे सहारे होना बताया हैं जिस पर पत्रावली में उपलब्ध मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि कमिश्नर रिपोर्ट में नजरी नक्शे में दर्शित रास्ता मार्क ABCD 0.02274 हैक्टयर बताया गया है। जो कि सबसे नजदीकी एवं सुलभतम रास्ता प्रतीत होता है जो प्रार्थी को दिया जाना न्यायोचित हैं।

उपखण्ड अधिकारी

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि पत्रावली में प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 12.07.2022 के अनुसार राजस्व ग्राम मादलिया के प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 62 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा सं. 61 में से मौका फर्द में दर्शाये अनुसार मार्क A B C D रकबा 0.02274 हैक्टयर में से ही भूमि को रास्ते के उपयोग उपभोग हेतु घोषित की जाती है जिसकी मालयीत राशि 102456/– प्रति हैक्टेयर बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 4660/– रूपये बनती है। प्रार्थीगण उक्त राशि 4660/– रूपये का डी.डी. अप्रार्थीगण के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष जमा करावे । तहसीलदार पीपाड शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 4660/– रूपये का डी. डी. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि को राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर उसकी तरमीम राजस्व नक्शे में करें इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जायें खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 25.05.2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर